कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– /FP/UK/OTHERS/8940/2014 :देहरादूनःदिनांकः 09 ~~मार्च~~ जून, 2015

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत अल्कनन्दा नदी पर 85 मी0 स्पान निर्वाली–धारकोट झुलापुल के निर्माण हेतु 0.3 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 89/X-4-15/1(25)/2015 दिनांक 20–03–2015

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिससे शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. **शासन की शर्त संख्या–1** के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार देय धनराशि रू0 1,70,000.00 (रू0 एक लाख सत्तर हजार) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के अद्यावधिक आदेशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 1,97,100.00 (रू0 एक लाख सत्तानब्बे हजार एक सौ) मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। एन0पी0वी0 प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर पूर्व में ही संलग्न है।
4. **शर्त संख्या–4 व 5** के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 26 प्रकरणों पर एक मुश्त देय धनराशि रू0 7,46,28,097.00 मात्र आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली में राज्य के खाता संख्या–25229 में यू0टी0आर0 नं0–SBIN215147701748 दिनांक 27–05–2015 के द्वारा जमा कराया जा चुका है। जिसमें प्रश्नगत प्रकरण की लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के कम संख्या–21 के अनुसार उपरोक्तानुसार कुल देय धनराशि 3,67,100.00 (रू0 तीन लाख सडसठ हजार एक सौ) मात्र भी सम्मिलित है। **(संलग्नक–3)**
5. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन में भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर पूर्व में ही संलग्न है।

अतः प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत कर वन भूमि प्रत्यावर्तन का शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नः–यथोपरि

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 3614 / FP/UK/OTHERS/8940/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी